

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
 ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002
 amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह—द्वितीय के दल क्रमांक—02 का दौरा कार्यक्रम

‘Horizontal Performance Audit on Health Infrastructure and Management of Health Services’

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111381	श्री भरत लाल मीणा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111479	श्री अंशुल सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111834
--	---	---

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	प्रस्थान: ग्वालियर से भोपाल	20.02.2022	
01	अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, हमिदिया अस्पताल (associated tertiary care hospital) भोपाल, सुल्तानिया जनाना अस्पताल (associated tertiary care hospital) भोपाल	14	21.02.2022 से 11.03.2022
	प्रस्थान: भोपाल से ग्वालियर	11.03.22 रात्रि / 12.03.22	
अवकाश – फरवरी: 26,27 मार्च: 1,5,6			

विशेष निर्देश:

1. - पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की होगी।
2. - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए. के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करे तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए. के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यो का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कापी/फोटो एकत्रित करेंगे एवं पी.ए. संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजिया, फाइलें कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
4. - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नही जाना पड़े।
5. - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नही करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
6. - Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members
7. - The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 18.02.2022)

—हस्ता—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह—द्वितीय